



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092021-229884  
CG-DL-E-23092021-229884

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 409]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 22, 2021/भाद्र 31, 1943

No. 409]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 22, 2021/BHADRA 31, 1943

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2021

फा. सं. आरईजी/प्रतिनिधित्व-एमएसईओ/एफएसएसएआई-2021 - कतिपय विनियमों में आगे संशोधन हेतु खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011, जिस में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ निम्न प्रारूप बनाने का प्रस्ताव करता है, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उप-धारा (2) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों को सूचना देने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार प्रकाशित करती है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तिथि से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तिथि को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई जाएँगी।

आपत्ति अथवा सुझाव, यदि कोई हो, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा ईमेल द्वारा [regulation@fssai.gov.in](mailto:regulation@fssai.gov.in) पर भेजी जा सकती है।

आपत्तियां अथवा सुझाव, जो किसी भी व्यक्ति से उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में प्राप्त किए जाएंगे, उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले, खाद्य प्राधिकरण द्वारा उन पर विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

1. इन विनियमों को खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) संशोधन विनियम, 2021 कहा जा सकता है।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 के उपवाक्य (11) में, उप-विनियम 2.3.14 में, “कतिपय उत्पादों की विक्रय पर निर्बंधन और प्रतिषेध” से संबंधित विनियम 2.3 में, “बहु स्रोती खाद्य वनस्पति तेल” शब्दों के स्थान पर, जहाँ भी प्रयुक्त किए गए हों, निम्नलिखित शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:

“बहु-स्रोतीय खाद्य तेल”

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
[विज्ञापन-III/4/असा./272/2021-22]

**नोट :** मुख्य विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. फाइल सं. 2-15015/30/2010, दिनांक 1 अगस्त, 2011 के माध्यम से प्रकाशित हुए थे और बाद में निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए:

- (i) फा. सं. 4/15015/30/2011, दिनांक 8 फरवरी, 2013;
- (ii) फा. सं. स्टैंडर्ड्स/ओ एवं एफ/अधिसूचना (2)/एफएसएसएआई-2016, दिनांक 23 अगस्त, 2016;
- (iii) फा. सं. स्टैंडर्ड्स/एफ एवं बीपी/अधिसूचना (02)/एफएसएसएआई-2016, दिनांक 23 अगस्त, 2016;
- (iv) फा. सं. ए-1(1)/मानक/एम.एम.पी/2012, दिनांक 12 अक्टूबर, 2017;
- (v) फा. सं. स्टैंडर्ड्स/ओ एवं एफ/अधिसूचना (8)/एफएसएसएआई-2017, दिनांक 31 जुलाई, 2018;
- (vi) फा. सं. मानक/साल्ट/एमआईएससी (01)/ एफएसएसएआई-2016 (पीटी-1), दिनांक 25 जून, 2019
- (vii) फा. सं. मानक/सहयोज्य/2-अधिसूचना/एफएसएसएआई-2018, दिनांक 25 जून, 2019;
- (viii) फा. सं. स्टैंडर्ड्स/सहयोज्य-3/अधिसूचना/एफएसएसएआई/2018, दिनांक 21 जुलाई, 2020;
- (ix) फा. सं. मानक/एगमाकक-बीआईएस/02/एफएसएसएआई-2018, दिनांक 20 अक्टूबर, 2020;
- (x) फा. सं. मानक/ओएंडएफ/अधिसूचना(12)/एफएसएसएआई-2019, दिनांक 26 अक्टूबर, 2020;
- (xi) फा. सं. विनियम/ स्टैंडर्ड्स-केसरी दाल/एफ.एस.एस.ए.आई.-2020, 12 जनवरी, 2021;
- (xii) फा. सं. मानक/ओएंडएफ/अधिसूचना(13)/एफएसएसएआई-2019, 2 फरवरी, 2021; तथा
- (xiii) फा. सं. स्टैंडर्ड्स/एसपी-15/टी(टी(आईएमएसटी)), दिनांक 8 मार्च, 2021 ।

## FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2021

**F. No. REG/Representation-MSEO/FSSAI-2021.**—The following draft of certain regulations, further to amend the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales ) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with the previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (2) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), is hereby published as required by sub-section (1) thereof, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi- 110002 or sent on email at [regulation@fssai.gov.in](mailto:regulation@fssai.gov.in).

Objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of the period so specified, shall be considered by the Food Authority.

**Draft Regulations**

1. These regulations may be called the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Amendment Regulations, 2021.
2. In the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011, in regulation 2.3 relating to “Prohibition and Restriction on sale of certain products”, in sub-regulation 2.3.14, in clause (11) for the words “Multi source edible vegetable oil” wherever they occur, the following shall be substituted, namely: -

“Multi-source edible oil”

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./272/2021-22]

**Note :** The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1<sup>st</sup> August, 2011 and subsequently amended *vide* notification numbers:

- (i) F. No. 4/15015/30/2011, dated the 8<sup>th</sup> February, 2013;
- (ii) F. No. Stds/O&F/Notification (2)/FSSAI-2016, dated the 23rd August, 2016;
- (iii) F. No. Stds/F&VP/Notification (02)/FSSAI-2016, dated the 23rd August, 2016;
- (iv) F. No. A-1 (1)/Standards/MMP/2012, dated 12th October, 2017;
- (v) F. No. Stds/O&F/Notification (8)/FSSAI-2017, dated the 31st July, 2018;
- (vi) F. No. Stds/Salt/Misc/01/FSSAI-2016 (pt-1), dated 25th June, 2019;
- (vii) No. Stds/Additives-2/Notification/FSSAI/2018, dated 25th June, 2019;
- (viii) F. No. Stds/Additive-3/notification/FSSAI/2018, dated the 21st July, 2020;
- (ix) F. No. Stds/Agmark-BIS/02/FSSAI-2018, dated 20th October, 2020;
- (x) No. Stds/O&F/Notification(12)/FSSAI-2019, dated 26th October, 2020;
- (xi) F. No. Reg/Stds-Khesari dal/FSSAI-2020, dated 12th January, 2021;
- (xii) F. No. Stds/O&F/Notification(13)/FSSAI-2019, dated 2nd February, 2021; and
- (xiii) F. No. Stds/SP-15/T(T(IMST)), dated the 8th March, 2021.